बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.स./106./2019-308

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–23/03/2020

विषय – दरभंगा जिलान्तर्गत दोनार गुमती–टिनही पुल तक प्रस्तावित नाले के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.85 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दोनार गुमती–टिनही पुल तक प्रस्तावित नाले के निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.85 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 दरभंगा का प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तावित परियोजना निर्माण स्थल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। दरभंगा जिलान्तर्गत दोनार गुमती–टिनही पुल तक प्रस्तावित नाले के निर्माण में 14.85 हे० वन भूमि के अपयोजन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा एवं वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया है।

3. परियोजना निर्माण के क्रम में अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा, Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण स्थल पर अवस्थित कुल 166 वृक्षों में से 55 वृक्षों को काटे जाने की आवश्यकता नहीं है साथ ही परियोजना निर्माण के क्रम में 17 वृक्षों को पुनस्थापित कर बचाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में मात्र 94 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान से दूरस्थ है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 14.85 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 29.70 हे० अर्थात् 30.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को बाँका वन प्रमंडल, बाँका के बौंसी प्रक्षेत्र अन्तर्गत कोहराटीकर टोला मोचनावरण सुरक्षित वन को चिन्हित किया गया है। वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा समर्पित किया गया है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 14.85 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 92,96,100/– (रूपये बानवें लाख छियानवें हजार एक सौ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 14.85 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बाँका वन प्रमंडलन्तर्गत 30.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि कोहराटीकर टोला मोचनावरण सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 45,88,109/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1108/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

23.3.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।